

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 द०प्र०सं०

प्रथम पक्ष - डमरुधर साहु।


बनाम

वाद सं० 67/2022

द्वितीय पक्ष - विष्णु खड़िया बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
90/1/23	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 36/2022 दिनांक 23/06/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) डमरुधर साहु पिता बंधु साहु ग्राम नाथपुर जुराटोली थाना पालकोट, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1)विष्णु खड़िया (2) बंधन खड़िया (3) कृष्णा खड़िया तीनों पिता स्व० सोमरा खड़िया ग्राम नाथपुर जुराटोली थाना पालकोट, जिला गुमला के बीच जमीन खाता सं० 585, प्लॉट सं० 584 रकबा 2.63 एकड़ एवं खाता सं० 619, प्लॉट सं० 552, 622 कुल रकबा 0.44 एकड़ भूमि को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार द०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p>	




अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।